



UPSI120001952007

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)UP3785

दाण्डिक बाद संख्या-52/ 2007

उ०प्र० राज्य बनाम तोताराम आदि।

अपराध संख्या-179/ 2006

धारा-323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना- रेउसा, जनपद-सीतापुर।

आरोप

मैं सुभाष न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ- सीतापुर आप अभियुक्तगण तोताराम, संतोष कुमार, नरेन्द्र व विशाल को निम्न आरोपों में आरोपित करता हूँ-

- 1- यह कि घटना दिनांक 29.03.2006 को, समय करीब 22.00 बजे, बहद स्थान रेउसा चौराहा, थाना रेउसा, जिला सीतापुर में आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा जगदीश कुमार को मार पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा० दं० सं० की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 2- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा जगदीश कुमार को खतरनाक आयुध द्वारा स्वेच्छा से उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 324 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 3- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा जगदीश कुमार को स्वेच्छा से घोर उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 325 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 4- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा जगदीश कुमार को लोक शांति भंग करने हेतु प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया। जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 5- यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा जगदीश कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास किया है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और एतद्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि आपका विचारण उक्त आरोपों में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 19.12.2023

(सुभाष)

न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ, सीतापुर।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 19.12.2023

(सुभाष)

न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/ -